न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 59 सन् 2014

पंजीयन दिनांक 14.08.2014

मंजुगिर पत्नि सत्यनारायण गिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. मोहन गिर पिता मगन गिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. दिनेश गिर पिता उम्मेदगिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
3. कन्हैया गिर पिता भेरू गिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
4. गोपाल गिर पिता भेरू गिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
5. रेशमबाई पत्नि भेरू गिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
6. भंवरीबाई बेवा उम्मेदगिर जाति गुसाई निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
7. बद्रीलाल पिता झमकलाल जाति दर्जी निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
8. शंकरलाल पिता झमकलाल जाति दर्जी निवासी खैरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
9. भूमिधारी तहसीलदार प्रतापगढ तहसील व जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
प्रकरण संख्या 88/2004 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2006

उपस्थित– 1. चंदनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. प्रेमलता गोस्वामी –रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 9

निर्णय **दिनांक 10.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खेरोट तहसील प्रतापगढ़ मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपीलान्ट प्रतिवादी व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 131,133,136,137,195,203,204,205,209 कुल किता 9 कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 5/12 प्रतिवादी सं. 2,3,5 का 1/6 प्रतिवादी सं. 6 अपीलान्ट का 5/12 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार मौजा खेरोट की खाता सं. 196 मे दर्ज आराजी नम्बर 188,190,191,192,193 कुल किता 5 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2.87 हैक्टेयर स्थित है जिससे अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नही है। मौजा सोहनपुरा की खाता सं. 159 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/3 प्रतिवादी सं. 2,3,5 का 1/3 व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 6 का 1/3 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 01.04.2005 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे कमिश्नर तहसीलदार प्रतापगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सरकारी नियम 1955 के नियम 18 से 20 को ध्यान मे रखते हुए बंटवाडे किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय अनुसार अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 के हक मे प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवाडे की अंतिम डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 ने इस न्यायालय मे अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 की ओर से अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे घोषणा व बंटवाडे का वादपत्र मौजा खेरोट व मौजा सोहनपुरा की आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादिया व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादिया जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई जवाब हेतु अवसर चाहा। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.05.2005 को अपीलान्ट प्रतिवादिया व अन्य रेस्पोडेन्टगण 2 से लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 01.04.2005 को पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी होते हुए बहस सुनी जाकर दिनांक 01.04.2005 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार मौजा खेरोट की खाता सं. 232 व खाता सं. 196 व मौजा सोहनपुरा की खाता सं. 159 मे दर्ज आराजीयात का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार हक व हिस्सा घोषित किया जाकर कमिश्नर तहसीलदार प्रतापगढ़ को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम) 1955 के नियम 18 से 20 को ध्यान मे रखते हुए फर्द बंटवाडा किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा कमिश्नर के द्वारा मूर्तिब नही किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति मे बिना सूचना दिये तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडा अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दिनांक 15.06.2005 को पटवारी हल्का के द्वारा कमिश्नर को प्रेषित किया गया। कमिश्नर के द्वारा दिनांक 16.06.2005 को अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2006 को अंतिम निर्णय व डिक्री फर्द बंटवाडे के अनुसार पारित की गई। उक्त फर्द बंटवाडे मे अपीलान्ट का सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलान्ट का मौजा खेरोट की आराजी नम्बर 131, 133,136,137,195,203,204,205,209 किता 9 रकबा 3.49 हैक्टेयर मे अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1.40 हैक्टेयर रकबा 5/12 हक व हिस्से के अनुसार बनता था। सोहनपुरा की आराजीयात मे अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। सोहनपुरा की आराजीयात का 1/3 हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किया गया था परन्तु मौजा खेरोट की आराजीयात मे अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 को आराजी नम्बर 131 मे 0.50 हैक्टेयर पूर्व दिशा का हिस्सा दिया गया है, जबकि अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 का माफिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार 1.40 हैक्टेयर बनता है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध माफिक हक हिस्से अनुसार नही होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दर्ज हक हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर द्वारा मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। उसी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 9 ने अधीनस्थ विचारण द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को माफिक हक व हिस्से व कब्जे के अनुसार होकर विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा खेरोट व सोहनपुरा की कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर बिना साक्ष्य के दिनांक 01.04.2005 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाडा तलब किया गया, जिस पर कमिश्नर तहसीलदार प्रतापगढ के द्वारा दिनांक 16.06.2005 को फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया जिसमे तहसीलदार प्रतापगढ के द्वारा मौजा खेरोट की खाता सं. 36 मे कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर भूमि का फर्द बंटवाडा तैयार किया। खाता सं. 411 का फर्द बंटवाडा भी तैयार किया गया। खाता सं. 411 की आराजीयात मे अपीलान्ट प्रतिवादिया का कोई हक व हिस्सा नही है, साथ ही अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे माफिक हक व हिस्सा दिनांक 16.06.2005 को फर्द बंटवाडा तैयार किया गया जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादिया का 1.45 हैक्टेयर होना बताते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया गया है। उक्त फर्द बंटवाडा भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। दिनांक 17.04.2005 को मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के हस्ताक्षर करवाये जिसमे मौके की स्थिति को अंकित किया गया। उक्त पर्चा मौका भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्द बंटवाडा पटवारी हल्का के द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित किये पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार किया गया व भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा प्रमाणित किया गया। उसी फर्द बंटवाडे को कमिश्नर तहसीलदार के द्वारा बिना बंटवाडा नियम 18 से 20 की पालना किये बगैर प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ट्वाडे मे भी अपीलान्ट प्रतिवादिया का कमिश्नर के द्वारा फर्द बंटवाडा मूर्तिब करते वक्त किसी भी पक्ष को सूचित नही किया गया। पक्षकारान की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाडा मूर्तिब किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिसमे मौजा खेरोट की आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नही किया जाकर विभाजन प्रस्ताव से अलग प्रस्तुत पर्चा मौका दिनांक 17.04.2005 जिसको अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजीनामा होना मानते हुए बंटवाडे किये जाने की अंतिम डिक्री पारित की। पर्चा मौका दिनांक 17.04.2005 पटवारी हल्का खेरोट जिसमे पक्षकारान की ओर से किसी प्रकार की सहमति होना नही पाया जाता है। पक्षकारान की ओर से किसी प्रकार का विधिवत राजीनामा भी नही हुआ है। मौजा खेरोट की आराजीयात का विभाजन किया गया जिसमे अपीलान्ट का 5/12 हक व हिस्सा निहित था फिर भी कमिश्नर के द्वारा अपीलान्ट को फर्द बंटवाडे मे 0.50 हैक्टेयर रकबा दिया गया जबकि माफिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार 3.49 हैक्टेयर मे से अपीलान्ट के बंटवाडे मे 1.45 हैक्टेयर रकबा बनता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर के द्वारा जो फर्द बंटवाडा मूर्तिब किया गया वह पक्षकारान की अनुपस्थिति मे होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के विपरीत होकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर के द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 20 की पालना होना नही पाया जाता है। उसी फर्द बंटवाडे व पर्चा मौका जो पक्षकारान की ओर से नही किया गया है। पक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो हक हिस्से के मुताबिक नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 6 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 88/2004 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2006 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित कृषि आराजीयात की प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2005 के अनुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा बंटवाडा नियम 18 से 20 की पालना करते हुए तलब किया जाकर फर्द बंटवाडे पर उभय पक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुना जाकर पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)